

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(8)न्याय/2016


जयपुर, दिनांक 27 JUL 2016

:: अधिसूचना ::

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की धारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)न्याय/2015 दिनांक 16.05.2016 द्वारा सृजित एवं स्थापित मुख्यालय से बाहर स्थित निम्नलिखित अपर जिला न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के बारे में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं उक्त निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	जिला
1	अपर जिला न्यायाधीश, फतेहपुर	सीकर
2	अपर जिला न्यायाधीश, चिड़ाबा	झुंझुनू
3	अपर जिला न्यायाधीश, खेरवाड़ा	उदयपुर

राज्यपाल के आदेश से,


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/2016/1030

Dated: 03/08/2016

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

- 1.All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
- 2.Registrar (Classification), RHC, Jodhpur with a request to upload the same at high court website.
- 3.Concerned District and Session Judge
- 4.Concerned Court.
- 5.Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, Rajasthan High Court, Jodhpur


REGISTRAR (RULES)